संचिका संख्या - 2873/4/21/2020

File No. 2873/4/21/2020

27.01.2022

आवेदक के द्वारा यह कहते हुए कि वे अपनी पुस्तैनी जमीन पर 60–70 वर्षों से रहते आए हैं। उक्त स्थल पर घर निर्माण को तैयार थे तो नल–जल योजना के ठिकेदार 4–10 असमाजिक तत्वों के साथ मिलकर जबरदस्ती रातों–रात बोरिंग गाड़ दिया गया है तथा जान मारने की धमकी दे रहे हैं, बोरिंग के लिए उनसे सहमती भी नहीं ली गयी है।

इसी आशय का आवेदन NHRC से हस्तांतरण के पश्चात् प्राप्त हुआ है। राज्य आयोग के निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी, मधुबनी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी के पत्र के साथ अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के द्वारा आवेदन में वर्णित भूमि का खतियान से मिलान कराया गया। अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खेसरा सं0 4163 (पु0) में पानी टंकी का निर्माण कराया गया है। नापी के दौरान सी0एस0 एवं आर0एस0 नक्सा से स्थल का मिलान किया गया मिलानोपरांत पाया गया कि सी0एस0 खेसरा सं0 4163 (पु0) एवं खेसरा 5136 (नया) में वार्ड सं0 9–10 के पानी टंकी का निर्माण कराया गया है जिसके संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र तत्कालिन अचंल अधिकारी, खजौली द्वारा निर्गत किया गया है। आर0 एस0 खतियान के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक के पिता ने नाम से आर0एस0 खतिय़ान खुला हुआ है किंतु किस आधार पर गैर मजरूआ आम रास्ता की भूमि बंदोबस्त किया गया है उससे संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त प्रतिवेदन की प्रति आवेदक को भेजते हुए उन्हें दिनांक 26.10.2021 के आदेश के द्वारा अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था आवेदक ने उक्त जमीन की मालगुजारी रसीद, केवाला की प्रति राजस्व एवं भूमि सुधार का अधिकार अभिलेख अपनी लेखा तथा अन्य कागजातों को प्रस्तुत करते हुए जिला पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन पर आपत्ति दर्ज की है। प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि पानी टंकी का निर्माण किए गए जमीन का खतियान आवेदक के नाम से खुला है परंतु बिना कोई नियमानुसार कारवाई किए और उनके बंदोबस्ती को रद्द किए हुए आवेदक की जमीन पर पानी टंकी का अनापत्ति पत्र जारी करना नियम के विरूद्ध प्रतीत होता है।

अगर अंचल अधिकारी विवादित भूमि को सरकारी संपत्ति समझते हैं तो उन्हें आवेदक के पक्ष में जारी किए गए खतियान को रद्द करने की कारवाई करनी चाहिए थी।

संचिका संख्या- 2873/4/2/2020

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक से प्राप्त आवेदन की प्रति जिला पदाधिकारी, मधुबनी को भेजते हुए एक विस्तृत जाँच कर तथा आवेदक को सुनते हुए नियमानुसार इस पर आदेश पारित करने का निदेश दिया जाता है जिससे की अगर आवेदक इससे क्षुब्ध हो तो न्यायालय में जाने को स्वतंत्र होंगे। उपरोक्त अनुशंसा के साथ इस वाद को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson